Memorandum of Understanding

Between

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
Council of Scientific and Industrial Research
2, Rafi Marg, New Delhi – 110 001
सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ –226001
Vishvigyan Bhawan, 31, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001

And

भूगर्भ जल विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार,
9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
Ground Water Department
Government of Uttar Pradesh
9th Floor, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

On

जून June 07, 2019

समझौता ज्ञापन

1. अनुबंध

1.1 यह समझौता दिनांकः 07 जून, 2019 को; भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका पंजीकृत कार्यालयः 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (जिसे यहाँ इसके बाद जीडब्ल्यूडी कहा जाएगा) में है, अभिव्यकित के तहत यदि इस शब्द का अन्यथा अर्थ न दिया गया हो तो इसमें इसके हित और कार्य उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे, एक पक्ष।

एवं

1.2 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (1860 के XXI) के तहत पंजीकृत सोसायटी है, इसका पंजीकृत कार्यालय, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001 में है, इसकी घटक प्रयोगशाला सीएसआईआर–भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर – आईआईटीआर), विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ –226001, उत्तर प्रदेश (जिसे यहाँ इसके बाद "सीएसआईआर–आईआईटीआर" कहा जाएगा) द्वारा, जिसकी अभिव्यक्ति में दूसरे भाग के हित और कार्य उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।

जीडब्ल्यूडी जनहित में अनुसंधान और विकास के सहयोग/संघ के लिए सीएसआईआर–आईआईटीआर के साथ निम्नलिखित खंडों के अनुसार एक समझौते की इच्छा रखता हैः

2. प्रस्तावना

2.1 जीडब्ल्यूडी का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के भूजल संसाधनों के विकास हेतु दिशा–निर्देशों के मुद्दे एवं संबंधित समस्याओं के प्रबंधन, योजना, सर्वेक्षण, अध्ययन एवं आंकलन हैं।

2.2 चूंकि सीएसआईआर–आईआईटीआर विष विज्ञान अनुसंधान में अग्रणी है तथा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की समस्याओं के निवारण हेतु प्रयत्नशील है। संस्थान अपने लक्ष्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पूर्ण करने का ध्येय रखता हैः

- उद्योग, कृषि एवं दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों का सुरक्षा मूल्यांकन करना।
- विषाल रसायनों/प्रदूषकों की क्रिया विधिका अध्ययन करना।
- प्रदूषकों से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उपचारात्मक/निवारक उपायो का सुझाव देना।
- उद्योगों, खानों, कृषि क्षेत्रों एवं पर्यावरण में रसायन के जोखिम (एक्स्पोज़र) के कारण होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों की पहचान करना।
- औद्योगिक एवं पर्यावरिक रसायनों के कारण उत्पन्न विकारों हेतु सहज/शीघ्र नैदानिक जाँच करना।
- विषाक्त रसायनों की सूचना का संग्रहण, भंडारण एवं प्रसार करना।
- औद्योगिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु मानव संसाधन विकसित करना।
- रसायनों, योज्य तथा उत्पादों की सुरक्षा/विषालुता के संदर्भ में प्रश्नों और चिंताओं के समाधान हेतु चर्चा करने के लिए जनता और उद्यमियों को मंच उपलब्ध कराना।

अब इसलिए परिक्षेत्र एवं दिए गए पारस्परिक क़रार पर विचार करने के बाद, पार्टियां इस प्रकार सहमत हैं:

3. अनुबंध क्षेत्र

समझौते में निबंधन और शर्तें, वित्तीय व्यवस्था, सहयोग के तौर–तरीके, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीएसआईआर–आईआईटीआर एवं जीडब्ल्यूडी के दायित्वों और बाध्यता का विवरण है।

7/6/2019

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH CSIR iitr LUCKNOW

(वी० के० उपाध्याय)
निदेशक
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,
तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

4. वित्तीयव्यवस्था

समझौते के तहत विशिष्ट कार्य जैसे– नमूना लेने, परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु वित्त के लिए जीडब्ल्यूडी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

5. सहकार्यता के तौर–तरीके

1. **जल नमूना:** नमूना संबंधी कार्य जीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। यदि सीएसआईआर–आईआईटीआर द्वारा नमूना संबंधी कार्य किया जाना है, तो जीडब्ल्यूडी सीएसआईआर–आईआईटीआर को अनुबंध की शर्तों के अनुसार कीमत का भुगतान करेगा।
2. **भूजल परीक्षण एवं विश्लेषण:** परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार भौतिक रसायनिक (फिजिकोकेमिकल) विश्लेषण, भारी धातुओं केविश्लेषण, जीवाणु पैरामीटर्स के परीक्षण आदि का परीक्षण और विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सीएसआईआर–आईआईटीआर व भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
3. **निर्धारित क्षेत्रों हेतु दीर्घकालिक प्रबंधन और योजना:** भूजल गुणवत्ता के संपूर्ण परीक्षण उपरांत, संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन तथा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सीएसआईआर–आईआईटीआर व भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया जाएगा। निर्धारित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक प्रबंधन, योजना एवं नीति विकास संबंधी कार्य का उत्तरदायित्व जीडब्ल्यूडी का होगा। यद्यपि, सीएसआईआर–आईआईटीआर पारस्परिक रूपसे सहमत शर्तों पर तकनीकी समाधान प्रदान करने में सहायता करेगा।
4. **संयुक्त परियोजनाएं:** जीडब्ल्यूडी और सीएसआईआर–आईआईटीआर संयुक्त रू॰ से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं जैसे कि जल संसाधनों की मैपिंग, सुरक्षित पेय जल प्रौद्योगिक्रियों, आदि पर कार्य करेंगे।
5. **बौद्धिक संपदा का उत्पादन:** यदि उपर्युक्त गतिविधियों के माध्यम से कोई "बौद्धिक संपदा" उत्पन्न होती है, तो जीडब्ल्यूडी एवं सीएसआईआर–आईआईटीआर संयुक्त रूप से इसके स्वामित्व और अधिकारों को साझा करेंगे।
6. **कर्मचारियों को ज्ञान आधारित प्रशिक्षण:** दोनों संगठन अनुसंधान एवं विकास में विभिन्न प्रकार की क्षमता रखते हैं। जीडब्ल्यूडी एवं सीएसआईआर–आईआईटीआर दोनों विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे तथा दोनों संगठनों के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर संबंधित संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

6. अनुबंध के प्रभावी होने की तिथि, अवधि एवं समापन

6.1 यह अनुबन्ध शासन के पत्र संख्या 582/62–1–2019–821/2018 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में हस्ताक्षरित किया जा रहा है। (संग्लकनक–1)

6.2 यह अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा एवं प्रारंभ में इस तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी रहेगा, उसके उपरांत इसे पारस्परिक समझौते के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

6.3 जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस अनुबंध की अवधि को विस्तारित नहीं किया जाता, तब तक यह अनुबंध खण्ड 6.1 में उल्लेखित अवधि पर समाप्त हो जाएगा।

6.4 अनुबंध अवधि के दौरान, पक्षकार इस अनुबंध के किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन पर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं या अन्यथा व्यतिक्रामी (डिफॉल्टिंग) पक्ष को लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर। किसी पक्ष द्वारा उल्लंघन या डिफॉल्ट के आधार पर अनुबंध को समाप्त करने हेतु उस पक्ष की विफलता इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए उस पक्ष के अधिकार के अधित्याग का गठन नहीं करेगी।

7. अनुबंध का विस्तार

यह अनुबंध पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्दिष्ट अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है।

8. अनुबंध समनुदेशन

7/6/2019

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH CSIR IITR LUCKNOW

(वी० के० उपाध्याय)
निदेशक
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,
नवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

इस अनुबंध से किसी भी पक्ष को मिलने वाले अधिकार या/और दायित्व अन्य पार्टी की लिखित सहमति के बिना नियत नहीं होगा और वह ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन होगा जिस पर पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत हों।

9. विवाचन

इसमें इससे पहले दिए गए के अतिरिक्त, इस समझौते के तहत उत्पन्न किसी भी विवाद को, दो विवाचकों के पास विवाचन हेतु भेजा जाएगा, एक विवाचक विवाद के प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना है, और यदि उनके बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो मामले को सीएसआईआर–आईआईटीआर द्वारा नियुक्त अंपायर के पास भेजा जाएगा, और अंपायर का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान ऐसे विवाचकों या अंपायर द्वारा तय किया जा सकता है और विवाचन की कार्य वाही भारतीय मध्य स्थता अधिनियम, 1996 के तहत होगी।

पार्टियों की सील

जिसके प्रमाण में पक्षकारों ने दिनांक ......07.....माह...... जून......वर्ष......2019...... को इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

जीडब्ल्यूडीहेतु और उसकी ओर से

हस्ताक्षर (वी.के. उपाध्याय)

पदनाम निदेशक

सील (वी० के० उपाध्याय) निदेशक भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, नवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

साक्षी (नाम और पता)

1 रविकान्त सिंह सी० हस्ट्रो० भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०

2. अनुपम, अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग

दिनांक: 07.06.2019

सीएसआईआर–आईआईटीआर हेतु और उसकी ओर से

हस्ताक्षर 7/6/2019

पदनाम वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक

सील डॉ० के० सी० खुल्बे / Dr. KC Khulbe प्रमुख, अनुसंधान योजना एवं व्यापार विकास विभाग Head, Research Planning & Business Development Division सी.एस.आई.आर.–भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान CSIR-Indian Institute of Toxicology Research विषविज्ञान भवन 31,महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001 भारत Vishvigyan Bhawan 31, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001, India

साक्षीः (नाम और पता)

1

2. PREETI CHATURVEDI, SCIENTIST CSIR-IITR, LUCKNOW

दिनांक 7/6/19

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

1. THE AGREEMENT

1.1 This AGREEMENT made on this 07 day of June, 2019 between the Ground Water Department, Government of Uttar Pradesh having its registered office at 9th Floor, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow (hereinafter referred to GWD) which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to mean and include its successors and assigns of the ONE PART.

And

1.2 Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), a Society registered under the Societies Registration Act (XXI of 1860), having its Registered Office at Anusandhan Bhavan, 2, Rafi Marg, New Delhi – 110 001 through its constituent laboratory CSIR-Indian Institute of Toxicology Research (CSIR-IITR), Vishvigyan Bhawan, 31, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh (hereinafter called "CSIR-IITR" which expression shall include its successors-in-interest and assigns) of the other part.

Whereas GWD desire an agreement with CSIR-IITR for the collaboration / association for R&D and benefit of masses as per the following clauses:

2. PREAMBLE

2.1 WHEREAS GWD has primary objective of the management, planning, survey, study, assessment, issue of development guidelines of the state's groundwater resources and related problems.

2.2 WHEREAS CSIR-IITR, a leader in toxicology research, endeavours to mitigate problems of human health and environment. The institute aims to accomplish its goals through the following objectives:

- Safety evaluation of chemicals used in industry, agriculture and everyday life.
- To study the mode of action of toxic chemicals/ pollutants.
- Remedial/preventive measures to safeguard health and environment from pollutants.
- To study the occupational health hazards due to exposure to chemicals in industries, mines, agricultural fields and environment.

7/6/2019

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH CSIR iitr LUCKNOW

(V. K. UPADHYAY)
Director
Ground Water Department, U.P.
9th Floor, Indira Bhawan, Lucknow

- To devise simple/rapid diagnostic tests for disorders caused by industrial and environmental chemicals.
- To collect, store and disseminate information on toxic chemicals.
- To develop human resource for dealing with industrial and environmental problems.
- To provide a platform to the public and entrepreneurs to address queries and concerns regarding safety/toxicity of chemicals, additives and products.

Now therefore in consideration of the premises and mutual covenants hereinafter contained, the parties hereto agree as follows:

3. SCOPE OF THE AGREEMENT

The agreement details the terms and conditions financial arrangements, modalities of collaboration, intellectual property rights, responsibilities and obligations of the CSIR-IITR and GWD.

4. FINANCIAL ARRANGEMENTS

There shall be complete financial liability for GWD under the agreement depending upon the specific work such as sampling, testing and analysis.

5. MODALITIES OF COLLABORATION

1. **Water sampling:** Sampling will be performed by GWD. In case the sampling has to be performed by CSIR-IITR, GWD will pay the charges to CSIR-IITR as per mutually agreeable terms.

2. **Groundwater testing and analysis:** Physicochemical analysis, analysis of heavy metals, bacteriological parameters testing, etc. will be tested and analysed by CSIR-IITR as per mutually agreeable terms.

3. **Long-term management and planning for the identified areas:** After thorough ground water quality testing, sensitive areas will be demarcated and a report will be generated by CSIR-IITR and Ground Water Department. U.P. Long-term management, planning and policy development for the identified areas will be the responsibility of GWD. However, CSIR-IITR shall help in providing technical solutions on mutually agreeable terms.
4. **Joint Projects:** GWD and CSIR-IITR shall jointly work on R&D projects such as mapping of water resources, safe drinking water technologies, etc.

7/6/2019

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH CSIR IIT LUCKNON

(V. K. UPADHYAY)
Director
Ground Water Department, U.P.
9th Floor, Indira Bhawan, Lucknow

5. **Intellectual property generated:** In case any "Intellectual Property" gets generated through above activities, GWD and CSIR-IITR shall jointly share the ownership and rights.
6. **Knowledge based Training of the staff:** Both the organizations do have their different strengths in R&D. Both GWD & CSIR-IITR shall organize trainings in different areas and scientists/ experts of both the organizations can be trained at respective institutes on mutually agreeable terms.

6. EFFECTIVE DATE, DURATION, TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 This agreement is being signed as per direction issued by Government vide letter number 582/62-1-2019-821/2018, Date 03 June, 2019. (Annexure-1)

6.2 The agreement shall effective from the date of signing and shall remain in force initially for a period of three years from the said date after that it can be extended as per mutual agreement.

6.3 The agreement shall terminate on the expiry of the period, as in clause 6.1 unless extended by both the parties.

6.4 During the tenure of the agreement, parties hereto can terminate the agreement either for breach of any of the terms and conditions of this agreement or otherwise by giving a one month notice in writing to the defaulting party. Failure of either party to terminate the agreement on account of breach or default by the other shall not constitute a waiver of that party's right to terminate this agreement.

7. EXTENSION OF THE AGREEMENT

This agreement may be further extended for a specified period based on mutual consent.

8. ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT

The rights or/ and liabilities arising to any party to this agreement shall not be assigned except with the written consent of the other party and subject to such terms and conditions as may be mutually agreed upon.

9. ARBITRATION

Except as hereinbefore provided, any dispute arising out of this Agreement, the same shall be referred to the arbitration of two arbitrators, one to be appointed by each party to the dispute, and in case of difference of opinion between them to an umpire appointed by the CSIR-IITR, and the decision of the umpire, as the case may be, shall

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH CSIR iitr LUCKNOW

(V. K. UPADHYAY)
Director
Ground Water Department, U.P.
9th Floor, Indira Bhawan, Lucknow

be final and binding on both parties. The venue of arbitration shall be at such place as may be fixed by such arbitrators or umpire and the arbitration proceedings shall take place under the Indian Arbitration Act, 1996.

SEAL of PARTIES

In witness where of the parties here to have signed this agreement on the 7th day of June, 2019 mentioned here in before.

For and on behalf of GWD

Signature: _____

Name: V.K. Upadhyay

Designation: Director.

(V. K. UPADHYAY)
Director
Ground Water Department, U.P.
9th Floor, Indira Bhawan, Luknow

Seal:

For and on behalf of CSIR-IITR

Signature: _____ 7/6/2019

Name: Dr. KC Khulbe.

Designation: डॉ० के० सी० खुल्बे / Dr. KC Khulbe
प्रमुख, अनुसंधान योजना एवं व्यापार विकास विभाग
Head, Research Planning & Business Development Division
सी.एस.आई.आर.–भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
विषविज्ञान भवन 31,महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001 भारत
Vishvigyan Bhawan 31, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001, India

Seal:

Witnesses: (Name & Address)

1. Ravi Kant Singh, Sr. Hydro. GWD, UP.
2. Anupama, EE, GWD, UP.

Date: 07.06.2019

Witnesses: (Name & Address)

1. Preeti 7/6/19
2. PREETI CHATURVEDI, SCIENTIST CSIR-IITR, LUCKNOW

Date: 7/6/19

संख्या–582/62–1–2019–821/2018

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1,

लखनऊः दिनांक–03 जून 2019

विषयः–भूजल संसाधन की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–133जी/भू0ज0वि0/ए–7(भूजल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण), दिनांक 20 मई, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सी0एस0आई0आर0–भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा विषयगत कार्य हेतु विभाग से किए जाने वाले एम0ओ0यू0 के ड्राफ्ट की प्रति शासन के अनुमोदनार्थ उपलब्ध करायी गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूजल संसाधन की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार किए जाने के सम्बन्ध में सी0एस0आई0आर0–भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले एम0ओ0यू0 के ड्राफट (प्रति संलग्न) में निहित शर्तें, जिसके अनुसार भूगर्भ जल की गुणवत्ता परक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसपर भारतीय विष विज्ञान संस्थान एवं भूगर्भ जल विभाग की संयुक्त (Ownership) होगी तथा उक्त एम0ओ0यू0/एग्रीमेंट की अवधि 03 वर्ष होगी, जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है । उक्त एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए जाने हेतु भूगर्भ जल विभाग की ओर से निदेशक, भूगर्भ जल विभाग को नामित किया जाता है ।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

G.O.123

7/6/2019

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
CSIR
LUCKNOW

(V. K. UPADHYAY)
Director
Ground Water Department, U.P.
9th Floor, Indira Bhawan, Luknow